न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
राजस्व अपील संख्या 92/2020
हनुमान सिंह बनाम कमला देवी वगैरह

5/3/2020

वकील अपीलांट उपस्थित। हस्तगत प्रकरण आज सुनवाई के क्षेत्राधिकार की बहस हेतु नियत है। उक्त संबंध में वकील श्री रमेश कुमार ढ़ाका ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल हो। हस्तगत अपील में सुनवाई के क्षेत्राधिकार बाबत् वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही है। यदि न्यायालय हाजा उक्त अपील को क्षेत्राधिकार की नहीं मानते है, ऐसी स्थिति में उक्त अपील के विचारण की अधिकारिता प्राप्त नहीं है तो उपयुक्त न्यायालय में दाखिल करने की हिदायत देते हुए उक्त प्रकरण लौटाये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलान्ट द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी नांवा जिला नागौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र कमांक 378/1988 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.1989 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा में धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की है।

राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3(4) के अनुसार बन्दोबस्त अधिकारी में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी सम्मिलित है। उक्त अधिनियम 1956 की धारा 75 पहली अपीले- 75(ड) के अनुसार बन्दोबस्त के संबंधित मामलों द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी या कलक्टर द्वारा पारित मूल आदेश की बन्दोबस्त आयुक्त को पहली अपील का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा सहायक भू-प्रबंध अधिकारी नावां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र कमांक-378/1988 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.09.1989 के विरूद्व न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है, परन्तु उक्त प्रावधानो अनुसार न्यायालय हाजा को उक्त अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील वकील अपीलान्ट को लौटाई जावे। अपीलान्टस् सक्षम न्यायालय में अपील की कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी नांवा जिला नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर,नागौर

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:47:25 IST
Reason: SelfAttested